

Jaipur Zila Dugdh Utpadak Sahakari Sangh Ltd., Jaipur

Cattle Feed Plant

Plot No. SP34 & 34A, RIICO area, Kaladera

E-TENDER DOCUMENT

FOR

ANNUAL RATE CONTRACT

LOADING / UNLOADING OF RAW MATERIAL, CATTLE FEED AND

ALLIED WORK

ON JOB WORK BASIS

एकल चरण – दो भाग निविदा

Near Gandhi Nagar Railway Station, Jaipur-302015

Telephone No.: 0141- 2713666-69 ext. 450

e-mail: cfp.kaladera@gmail.com, website www.jaipurdairy.com

Table of Contents

Disclaimer: Page No. 3

Critical Dates: Page No. 4

Notice Inviting Bid/Tender: Page No. 5 to 7

Section I: Instructions to Bidders and Bid Data (ITB): Page No. 8 to 11

Section II: Evaluation and Qualification Criteria of bidders: Page No. 12

Section III: Terms of Reference (TOR): Page No. 13 to 18

Section III B : General Terms of tender : Page No. 19 to 22

Section IV: Bidding Forms: Page No. 23 to 32 (FORM No. 1 to 10)

Technical Proposal (Bid)

(I) Financial Proposal (Bid) : Page No. 33 to 34

(II) Section V : Contract Forms and Performance Security & Additional Performance Security : Page No. 35 to 37

(III) Performance Bank Guarantee : Page No. 38

Disclaimer

- A. The information contained in this e-tender/Bid document provided to the Bidder(s), by or on behalf of Jaipur Zila Dugdh Utpadak Sahakari Sangh Limited or any of its employees or advisors, is provided to the Bidder(s) on the terms and conditions set out in this e-tender/Bid document and all other terms and conditions subject to which such information is provided.
- B. The purpose of this e-tender/Bid document is to provide the Bidder(s) with information to assist the formulation of their Proposals. This e-tender/Bid document does not purport to contain all the information which each Bidder may require. This e-tender/Bid document may not be appropriate for all persons, and it is not possible for Jaipur Zila Dugdh Utpadak Sahakari Sangh Limited, its employees or advisors to consider the business/ investment objectives, financial situation and particular needs of each Bidder who reads or uses this e-tender/Bid document. Each Bidder should conduct its own investigations and analysis and should check the accuracy, reliability and completeness of the information in this e-tender/Bid document and where necessary obtain independent advice from appropriate sources.
- C. Jaipur Zila Dugdh Utpadak Sahakari Sangh Limited, its employees and advisors make no representation or warranty and shall incur no liability under any law, statute, rules or regulations as to the accuracy, reliability or completeness of the e-tender/Biddocument.
- D. Jaipur Zila Dugdh Utpadak Sahakari Sangh Limited may, in its absolute discretion, but without being under any obligation to do so, update, amend or supplement the information in this e-tender/Biddocument.

Jaipur Zila Dugdh Utpadak Sahakari Sangh Ltd.

Near Gandhi Nagar Railway Station, Jaipur

PABX No. : 91-0141-2713666-69 (4 Lines) , Sales :91-0141-2713670

Fax No. : 0141-2711075, MANAGER (PLANT): 0141-2711583

E-Mail : cfp.kaladera@jaipurdairy.com

Website : <http://www.jaipurdairy.com>

Critical Dates

S.No	Particulars	Date
1.	Date & time of uploading tender document by Jaipur Dairy.	23.05.2026 From 05:00 PM
2.	Date from which Bidding Document will be provided from the web-site of Jaipur Zila Dugdh Utpadak Sahakari Sangh Limited i.e. www.jaipurdairy.com or sppp.rajasthan.gov.in or can be downloaded from e-procurement or State Public Procurement Portal	23.05.2026 From 05:00 PM
3.	Pre-Bid meeting at JZDUSS LTD. HQ, Jaipur	27.05.2026 at 12:00 PM
4.	Last time and date upto which Bids can be submitted/ uploaded on e- procurement website	12.06.2026 till 11:00 AM
5.	Last date & time for submission of fees following in original and physical form:	12.06.2026 till 12:00 PM
	Bid-security/EMD: Rs. 1,96,000/- by DD / banker cheque / pay order (CTS only)/ BG in name of Cattle Feed Plant, Kaladera.	
	Tender document fee: Rs. 1000/- by DD / banker cheque / pay order (CTS only) in name of Cattle Feed Plant, Kaladera	
	RISL Processing fee : Rs. 1500/- by DD / banker cheque / pay order (CTS only) in name of MD, RISL., Jaipur	
6.	Time and date of opening of Technical Bid	12.06.2026 at 12:30 PM
7.	Time and date of opening of Financial Bid	To be informed later

SIGNATURE OF THE TENDERER
WITH OFFICE SEAL & DATE

Jaipur Zila Dugdh Utpadak Sahakari Sangh Ltd., Jaipur

Near Gandhi Nagar Railway Station, Jaipur

PABX No. : 91-0141-2713666-69 (4 Lines), Sales : 91-0141-2713670 Fax

No. : 0141-2711075, MANAGER (PLANT): 0141-2711583

E-Mail: cfp.kaladera@gmail.com

Website: http://www.jaipurdairy.com

TENDER – FORM

Subject: E-tenders are invited from experienced and financially sound tenderers for engaging manpower on job work basis for following activities: **Unloading** of raw material from trucks, dumping of raw material, empty bag cleaning by machine & bundle packing (Old Bardana) **Loading** of packed cattle feed in truck, bagging, packing & stacking etc.

- | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pre-Bid meeting | : | 27.05.2026 at 12:00 PM
At Meeting room of Jaipur Dairy Plant,
Near Gandhi Nagar Railway station, Jaipur |
| 1) Last Date & Time For Submission
/uploading | : | 12.06.2026 till 11:00 AM |
| 2) Tender form fee, tender processing fee:
& EMD is to be deposited as per schedule | : | 12.06.2026 till 12:00 PM |
| 3) Estimated value of Contract (One Year) | : | Rs. 98 Lac |
| 4) Date & time for opening of the Tender
(Technical bid only) | : | 12.06.2026 at 12:30 PM |
| 4) Earnest Money Deposit: | : | Tender form must be accompanied with
Earnest Money of Rs. 1,96,000/- The EMD should
be in the form of DD/BG in favour of <u>“Cattle Feed
Plant, Kaladera” payable at Jaipur without which
the tender form will not be considered.</u> The total
security will be 5% of contract value. |
| 5) Tender Fee (non-refundable) | : | Rs.1,000/- (Rs. One Thousand only) by Demand
draft only in favour of “Cattle Feed Plant,
Kaladera” payable at Jaipur. |
| 6) Tender Processing Fee (non-refundable): | : | Rs.1500/- (Rs. One Thousand Five Hundred Only)
By Demand draft only in favour of MD, RISL,
payable at Jaipur. |

Note: The above referred fees & EMD to be deposited at following address:

Jaipur Zila Dugdh Utpadak Sahakari Sangh Ltd.,
Near Gandhi Nagar Railway Station: 302015

SIGNATURE OF THE TENDERER
WITH OFFICE SEAL & DATE

7) The complete Bidding Document including the Conditions of Contract, Evaluation and Qualification Criteria, Terms of Reference, Bidding Forms, Procedure of Bidding etc. can be seen at **www.jaipurdairy.com**. Alternatively, these may be seen and downloaded from the website of State Public Procurement Portal, **http://sppp.rajasthan.gov.in** and website of e-procurement **http://eproc.rajasthan.gov.in** and the price of Bidding Document, Bid Security/ Bid Securing Declaration, as applicable and Processing Fee, the scan copy of these documents must be uploaded on e-procurement.

The original Demand draft/ Banker's cheque/ Bank Guarantee in the specified format, from a Scheduled Bank in India, shall be submitted personally or dropped in the Bid Box or by post in sealed envelopes deposited in the office of **Jaipur Zila Dugdh Utpadak Sahakari Sangh Ltd., Near Gandhi Nagar Railway station at Jaipur-302015** after last time and date of Bid submission and before Time and date of opening of technical Bid, failing in which the bid shall be rejected.

- 8) Jaipur Zila Dugdh Utpadak Sahakari Sangh Ltd., Jaipur is not bound to accept the successful Bid and may reject any or all Bids without assigning any reason thereof.
- 9) For any query regarding the BID, the bidder can contact to competent authority of Sangh.

NOTE- Important Instruction:- The Law relating to procurement "The Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012" [hereinafter called the Act] and the "Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules, 2013" [hereinafter called the Rules] under the said Act have come into force which are available on the website of State Public Procurement Portal <http://sppp.rajasthan.gov.in> Therefore, the Bidders are advised to acquaint themselves with the provisions of the Act and the Rules before participating in the bidding process. If there is any discrepancy between the provisions of the Act and the Rules and this Bidding Document, the provisions of the Act and the Rules shall prevail.

जयपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि., जयपुर

गांधी नगर रेल्वे स्टेशन के पास, जयपुर - 302015

क्रमांक (एफ2/जजिदुसत्तलि/प.आ.त्.कालाडेश/2026/ 5787-89 दिनांक 26/05/2026

ई-निविदा सूचना

पशु आहार संयन्त्र, कालाडेश पर कच्चा एवं पक्का माल लोडिंग/अनलोडिंग इत्यादि कार्य हेतु ई-निविदा आमंत्रित की जाती है, जिसकी विस्तृत सूचना एवं महत्वपूर्ण तिथियां sppp.rajasthan.gov.in व www.jaipurdairy.com पर देखी जा सकेंगी। उपरोक्त कार्य हेतु वेबसाइट www.eproc.rajasthan.gov.in पर निविदा प्रपत्र भरा जा सकेगा।

प्रबन्ध संचालक

प्रतिलिपि :-

1. संप्रबन्धक (प्रचार-प्रसार) दुग्ध संघ, जयपुर को भेजकर लेख है कि निविदा सूचना को समाचार पत्र में प्रकाशित करवाने का श्रम करावे।
2. सहायक प्रबन्धक (एरन), पशु आहार संयन्त्र, कालाडेश को भेजकर लेख है कि उक्त निविदा सूचना को सूचना पट्ट पर चस्पा करावे।
3. सूचना पट्ट, दुग्ध संघ, जयपुर
4. कार्यालय प्रति/मास्टर फाईल

प्रबन्ध संचालक

अनुभाग -I

Instructions to Bidders

INSTRUCTIONS FOR SUBMISSION OF E-TENDER FORM & DOCUMENTS

1. The bidders who are interested in bidding can download tender documents from <http://eproc.rajasthan.gov.in>
2. Bidders who wish to participate in this tender will have to register on <http://eproc.rajasthan.gov.in>, to participate in online tenders; Bidders will have to procure Digital Signature Certificate (type III) as per Information Technology Act-2000 using which they can sign their electronic bids. Bidders can procure the same from any CCA approved certifying agency, i.e. TCS, safe crypt, N code etc. or they may contact e-procurement Cell, Department of IT & C, Government of Rajasthan for further assistance. Bidders who already have a valid Digital certificate need not procure a new Digital Certificate.

Address: e-Procurement Cell, RISL, Yojana Bhawan, Tilak Marg, C-Scheme, Jaipur

3. Bidders shall submit their offer on-line in Electronic formats both for technical and financial proposal, however D.D. for Tender fees, Processing Fees and E.M.D. should be submitted manually in the office of Tendering Authority Before date & time of opening of technical bids and scanned copy of D.D. should also be uploaded along with the online bid.
4. Before electronically submitting the tenders, it should be ensured that all the tender papers including conditions of contract are digitally signed by the tenderer.
5. The scan copy of tender form, rates & other relevant documents duly signed by Tenderer should be submitted online only.
6. If required by the Tenderer, training may be given by DOIT, Yojana Bhawan, Bidder Contact: E-Procurement Cell, 1st Floor, Yojana Bhawan Tilak Marg, C-Scheme, Jaipur. Help Desk MOBILE: +91-7878007972, +91-7878007973, or 180030702232 "Tollfree, 24X7" E-mail- eproc@rajasthan.gov.in
7. Tender Form & hand written rates would not be accepted in Tender Box,
8. Please read carefully the steps of submitting Tender online.
9. Bidders are also advised to refer "Bidders manual" available under "Downloads" section for further details about the e-tendering process.

Grievance Redressal during procurement process

Grievance Redressal

Any grievance of a Bidder pertaining to the procurement process shall be by way of filing an appeal to the Appellate Authority, as specified below:

Appeals: -Appellate authority-

(i) MD, RCDF Ltd. Jaipur

(ii) Principal Secretary Gopalan, Government of Rajasthan

Appendix A: Grievance Handling Procedure during Procurement Process (Appeals)

Filing an appeal

If any Bidder or prospective Bidder is aggrieved about any decision, action or omission of the Procuring Entity, he may file an appeal to Appellate Authority, as may be designated for the purpose, within a period of ten days from the date of such decision, action, or omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bid before the opening of the financial Bid, an appeal related to the matter of Financial Bid may be filed only by a Bidder whose technical Bid is found to be acceptable.

(1)Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

- (a) Determination of need of procurement;
- (b) Provisions limiting participation of Bidders in the Bid process;
- (c) The decision of whether or not to enter into negotiations;
- (d) Cancellation of a procurement process;
- (e) Applicability of the provisions of confidentiality.

(2)Form of Appeal

- (a) An appeal shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.
- (b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.
- (c) Every appeal may be presented to Appellate Authority, in person or through registered post or authorized representative.

(3) Fee for filing appeal

(a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.

(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's Cheque of a Scheduled Bank payable in the name of Appellate Authority concerned.

(4) Procedure for disposal of appeals

(a) The Appellate Authority, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.

(b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall,

(i) Hear all the parties to appeal present before him and

(ii) Peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.

(c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

(d) The order passed under sub-clause (c) above shall be placed on the State

(e) Public Procurement Portal.

FORM NO.1

[See rule83]

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal Noof

Before the (Appellate Authority)

1.Particulars of appellant:

(i) Name of the appellant:

(ii) Official address, if any:

(iii) Residential address:

2.Name and address of the respondent(s):

1.

2.

3.

3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer / authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:

4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of their representative:

5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:

6. Grounds of appeal:

.....

.....

..... (Supported by an affidavit)

7.Prayer:

.....

.....

Place

Date

Applicant's signature

अनुभाग II

निविदादाताओं की अर्हता, पात्रता एवं मूल्यांकन की शर्तें

1. बोलीदाता/संवेदक द्वारा विभिन्न पंजीकरण इत्यादि का विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत किया जावेगा :-

क्र. सं०	विवरण	रजि० सं०	वर्ष	पंजीकरण दिनांक	संलग्नक क्रमांक
1.	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 के अन्तर्गत वैध लेबर लाईसेन्स				
2.	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952				
3.	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948				
4.	वस्तु एवं सेवा कर (GST)				
5.	आय कर (पैन नंबर)				
6.	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958/बीआर नम्बर या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत				

2. निविदादाता प्रतिष्ठित उत्पादक/डिस्ट्रीब्यूटर/डीलर/सेवादाता होना चाहिये।
3. निविदादाता को निविदा प्रपत्र फीस, आर.आई.एस.एल. प्रोसेसिंग फीस, ई.एम.डी. राशि जमा करवाना आवश्यक है अन्यथा निविदा निरस्त कर दी जावेगी।
4. निविदादाता द्वारा जयपुर संघ अथवा संघ के अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध (संघ से सम्बन्धित) किसी भी न्यायालय में किसी भी प्रकार का वाद लम्बित होने पर निविदा में भाग नहीं ले सकते।
5. निविदादाता जिन्हे पूर्व में संघ द्वारा किसी भी कारण से अयोग्य किया गया है/निलम्बित/ अनुबंध निरस्त किया गया है/ब्लेक लिस्टेड किया गया है वे इस निविदा में भाग नहीं ले सकते।
6. निविदादाता जिनका संघ के किसी भी अधिकारी/कर्मचारी/संचालक मण्डल के सदस्य से/दुग्ध समितियों के पदाधिकारी वित्तीय सम्बन्ध है वे इस निविदा में भाग नहीं ले सकते।
7. निविदादाता जिनका संघ के संचालक मण्डल के सदस्य/दुग्ध समितियों के पदाधिकारी/अधिकारी /कर्मचारी से रक्त सम्बन्ध है वे इस निविदा में भाग नहीं ले सकते।
8. निविदादाता जो दिवालिया/नाबालिग/अस्वस्थ मस्तिष्क के हैं वे इस निविदा में भाग नहीं ले सकते।
9. निविदादाता जो संघ के समान/प्रतिस्पर्धी कार्य/व्यापार में लिप्त हैं वे इस निविदा में भाग नहीं ले सकते।
10. निविदादाता वर्तमान में किसी भी अन्य प्रतिस्पर्धी ब्रांड के कार्यालय/संयंत्र में अनुबंध के अंतर्गत कार्यरत हैं वे इस निविदा में भाग नहीं ले सकते।
11. जयपुर दुग्ध संघ में सुरक्षा कार्य के अनुबन्धित ठेकेदार, जयपुर दुग्ध संघ के सभी अनुबन्धित ठेकेदार पशु आहार संयंत्र, कालाडेरा की निविदाओं में भाग नहीं ले सकते।
12. वे निविदादाता जिनको निविदा में भाग लेने से सीमित किया जाता है उसके लिये निविदा की विशेष शर्तों में मय सीमित करने का आधार का उल्लेख किया जावेगा।
13. निविदादाता द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र में दी गई घोषणा गलत पाये जाने पर धरोहर /सुरक्षा राशि/बैंक गारंटी/अन्य देय भुगतान संघ में जब्त समझी जावेगी एवं टेण्डर की अवधि के दौरान तथ्य उजागर होने पर टेण्डर को निरस्त भी किया जा सकेगा। जिसके लिए निविदादाता स्वयं जिम्मेदार रहेगा।
14. निविदादाता को निविदा से सम्बन्धित सभी शर्तें माननी होगी। निविदादाता द्वारा सशर्त निविदा प्रस्तुत किये जाने पर वह निविदा निरस्त मानी जावेगी।
15. निविदादाता को जी.एस.टी. में पंजीकृत व पेन नम्बर का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
16. निविदादाता को प्रपत्र में वांछित सभी फार्म भरकर हस्ताक्षर मय सील अंकित कर प्रस्तुत करना होगा।
17. लेबर सम्बन्धी निविदादाता के पास नियमानुसार श्रम विभाग का लेबर लाईसेन्स, पी.एफ. एवं ई.एस.आई. में पंजीकरण होना आवश्यक है।
18. निविदादाता को निविदा प्रपत्र व संलग्न दस्तावेजों के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर एवं सील अंकित करनी होगी।
19. एम.एस.एम.ई. निविदादाता को किसी भी प्रकार की टेण्डर फार्म राशि ई.एम.डी./सिक्योरिटी राशि में छूट नहीं दी जावेगी।
20. परिवार के सदस्य जिनके निविदादाता से रक्त संबंध हैं और जो निविदादाता पर आश्रित हैं वे निविदा में भाग नहीं ले सकते।
21. पूर्व में इस प्रकार के कार्य का किसी भी सरकारी/अर्द्धसरकारी/बॉर्ड/निगम/सहकारी संस्थान इत्यादि में विगत तीन वर्षों में से किसी एक वर्ष में 50 श्रमिकों का लेबर लाईसेन्स होना चाहिये और श्रमिक निविदादाता के रूप में कम से कम एक वर्ष का कार्यानुभव प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। इसके लिये समुचित दस्तावेज यथा कार्य आदेश, कार्य अनुबन्ध या अनुभव प्रमाण पत्र आदि अपलोड किया जाना आवश्यक है।
22. विगत दो वर्ष का टर्न ऑवर रूपयें न्यूनतम पच्चास लाख प्रत्येक वर्ष होना अनिवार्य है। इस प्रयोजन हेतु चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट के मोहर व हस्ताक्षर युक्त यूडीआईएन के सहित टर्न ऑवर प्रमाण पत्र एवं बैलेन्स शीट, प्रोफिट एण्ड लॉस की सत्यापित छायाप्रति अपलोड करें। संलग्न Form-3 (फर्म के लेटर हेड) पर प्रस्तुत करें।

Section III Terms of Reference

1. Introduction and Scope of Work:

ट्रकों से कच्चा माल अनलोडिंग, डम्पिंग, बन्डल पैकिंग इत्यादि श्रम कार्य:-

(i)	कच्चे माल की बोरियों को वाहन से वांछित तरीके से सेम्पलिंग कराकर निर्देशित स्थान पर उतारकर चट्टे लगाना चट्टे की साईज (30x20x18) एवं अनलोडिंग के समय बिखरा माल उसी समय भरकर सिलाईकर गोदाम में निर्देशित स्थान पर लगाना शामिल है।
(ii)	कच्चे माल को गोदाम में लगे चट्टे से उतारकर निर्धारित स्थान पर डम्प करना या ट्रक से कच्चे माल को उतारकर (Direct)साईलों में भरने के लिए डम्प करना एवं डम्पिंग के दौरान आस-पास बिखरा माल बोरी में भरकर डम्प करना।
(iii)	नया बारदाना (Bags) के बन्डल/गांठ (लगभग 500 बैग) को वाहन से उतारकर निर्देशित स्थान पर धांग लगाना।
(iv)	(अ) खाली जूट बारदाने को बैग क्लीनिंग मशीन या झाडकर 50 बोरी का कसकर बन्डल बांधना तथा निर्देशित स्थान पर चट्टे लगाना।
	(ब) खाली प्लास्टिक बैग झाडकर (लगभग 50 बैग) कसकर बन्डल बांधना तथा निर्देशित स्थान पर चट्टे लगाना।
(v)	नये खाली Bags पर बैच नम्बर, दिनांक एवं एम आर पी इत्यादि छपाई करना।
(vi)	फीड के प्रत्येक बैच में ऐडीटिव (नमक/लाईम स्टोन पाउडर/मिनरल मिक्चर/विटामिन ए.डी.3 एवं ई) लगभग 30 से 50 किलोग्राम का एक बैच बनाकर निर्देशानुसार डम्प करना।
(vii)	गोदाम के बाहर अनलोड किया गया माल गोदाम में लाकर चट्टे लगाना एवं उसके बिखरे माल को छानकर बोरियों में भरकर सिलाई कर गोदाम में चट्टा लगाने का कार्य शामिल है।
(VIII)	पक्के माल को बोरियों में भरकर तोलकर, पैकिंग स्लिप डालकर, सिलाई कर प्लान्ट से पक्के माल के गोदाम में चट्टे लगाना चट्टे की साईज(30x20x18)
(IX)	पक्के माल को बोरियों में भरकर तोलकर, पैकिंग स्लिप डालकर सिलाई कर टेलिस्कोपिक कवैयर द्वारा सीधे ट्रकों में लोड करना अथवा चट्टे से बिना चट्टे खराब किये व बिना हुक लगाये बोरियों को उठाकर ट्रकों में लोडकरना।
(X)	संयन्त्र में किसी भी मंजिल से (अण्डर ग्राउण्ड सहित) बिखरे माल को एकत्रित कर छानकर बोरियों में भरना (वजन करीब 40 किलो) व डम्प करना।
(XI)	बीआईएस के नियमों के अनुसार गुणवत्ता को बनाये रखने एवं संयन्त्र के प्रोसेसिंग यूनिट/आरएमजी/एफएमजी/सायलों इत्यादि को हाईजैनिक कण्डिशन में रखना।

- (XI) गाडी खाली करने के पश्चात ट्रक की पूरी तरह से सफाई करनी होगी तथा फैले हुए माल को इकट्ठा कर निर्देशानुसार बोरियों में भरना होगा।
- (XII) कच्चे माल के खाली हुए बारदानों (जूट बैग को 50 बोरी के तथा प्लास्टिक बैग्स को सुविधा अनुसार) उसी समय भली प्रकार झाडकर अथवा बैग क्लीनिंग मशीन से साफ कर बन्डल कसकर बांधने होंगे तथा निर्देशित स्थान पर चट्टे लगानेहोंगे।
- (XIII) गाडी अन-लोडिंग पोइंट पर सड़क पर नीचे बिखरे माल को तुरंत उठाया जाना होगा जिससे की होने वाले नुकसान से बचा जा सके. इस हेतु निविदाकार द्वारा यदि किसी ट्रेक्टर या अन्य मशीन का उपयोग किया जाता है तो उसका कोई अतिरिक्त भुगतान देय नहीं होगा।
- (XIV) कार्य स्थल की नियमित सफाई एवं गोदाम में बिखरे सूतली, लोहा, कागज, इत्यादि उठाकर उसी समय डस्ट बिन में डालने होंगे। कच्चे व पक्के माल में नहीं मिले इसके लिए ठेकेदार को व्यवस्था करनी होगी।
- (XV) कार्य स्थल पर साफ/सफाई रखना ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी जिसे नियमित रूप से उसे

कराना होगा।

- (XVI) फार्मूले अनुसार प्रत्येक बैच में आवश्यक नमक, लाईमस्टोन पाउडर, मिनरल मिक्चर, विटामिन एडी3 एवं विटामिन ई मिलाकर बैच लगभग 30 से 50 किलोग्राम डालना होगा। बैच नहीं डालने की स्थिति में प्रति एक टन बैच पर रू० 50/- ठेकेदार के बिल से वसूल किये जावेंगे।
- (XII) कार्य के अनुसार प्रत्येक पारी में निर्धारित श्रमिक रखने होंगे।

1. वैधानिक मापदण्ड:

- (i) स्वीकृत निविदादाता का कार्य अनुबन्ध अवधि में सन्तोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में कुल तीन बार नोटिस देकर ठेका कार्य निरस्त कर दिया जावेगा।
- (ii) ठेका कार्मिकों से संबंधित समस्त रिकार्ड का संधारण ठेकेदार/एजेन्सी स्वयं रखेगी एवं संयंत्र को किसी रिकार्ड की आवश्यकता पडने पर वह संयंत्र को आवश्यक रूप से उपलब्ध करवायेगा।
- (iii) भविष्य निधि की राशि कार्मिक ठेकेदार/एजेन्सी द्वारा अपने पीएफ कोड में अनिवार्यतः जमा करवाना होगा।
- (iv) ठेकेदार द्वारा कार्यरत श्रमिकों को ग्लोवज/मास्क/जूते इत्यादि कार्यस्थल पर उपलब्ध कराने होंगे।
- (v) कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के अनुसार कार्यरत कार्मिकों के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की बकाया ब्याज शास्ति, वसूली के लिए ठेकेदार/एजेन्सी वर्तमान व भविष्य में पूर्ण रूप से जिम्मेवार रहेगा एवं इस प्रकार की वसूली की सूचना यदि भविष्य निधि विभाग से अनुबंध अवधि में अथवा बाद में संयंत्र को मिलती है तो उक्त वसूली ठेकेदार/एजेन्सी से की जावेगी एवं आवश्यकता पडने पर उक्त वसूली के लिए संयंत्र कानूनी प्रक्रिया का सहारा लेने में स्वतंत्र रहेगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी ठेकेदार/एजेन्सी स्वयं की होगी।
- (vi) ठेकेदार/एजेन्सी प्रत्येक कार्मिक को आवंटित भविष्य निधि क्रमांक की सूचना काम पर लगाते ही संयंत्र को देगा व अपने मासिक भुगतान बिल में कार्यरत कार्मिक का नाम, पिता का नाम, भविष्यनिधि सदस्यता क्रमांक का पूर्ण विवरण देना होगा व काम पर लगने से पूर्व ठेकेदार/एजेन्सी कार्मिक से समस्त सम्बन्धित भविष्य निधि फार्मों की पूर्ति करायेगा। कार्मिकों द्वारा भराये गये फार्म निर्धारित अवधि में पीएफ कार्यालय को प्रस्तुत करने होंगे। उक्त कार्यवाही पूर्ण कराने का दायित्व ठेकेदार/एजेन्सी का रहेगा अन्यथा यह माना जावेगा कि पिछले माह कार्मिक ठेकेदार/एजेन्सी ने उक्त पूर्ति नहीं की है व तदनुसार ठेका शर्तों का उल्लंघन मानकर आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।
- (vii) ठेकेदार/एजेन्सी को पीएफ का कार्य सम्पादन हेतु अलग से किसी प्रकार का भुगतान नहीं किया जायेगा। पी.एफ. 15 तारीख तक जमा कराने के पश्चात आगामी माह की 7 तारीख तक इस कार्यालय में प्रस्तुत करने के उपरान्त ठेकेदार के बिल का भुगतान किया जा सकेगा। ठेका कार्मिकों के पीएफ संबंध में किसी प्रकार के विवाद के लिए सम्बन्धित ठेकेदार/एजेन्सी स्वयं व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार होगा तथा समस्त उत्तरदायित्व ठेका कार्मिक/ठेकेदार/एजेन्सी का रहेगा।
- (viii) सभी वैधानिक आवश्यकतायें मय आयकर/जीएसटी व अन्य टैक्स नियमानुसार जमा करवाने का दायित्व ठेकेदार/एजेन्सी का होगा। ये सभी ठेकेदार/एजेन्सी द्वारा दी गई दर में शामिल माने जावेंगे।
- (ix) संयंत्र में लगाये जाने वाले श्रमिकों का ग्रुप इन्श्योरेन्स करवाना होगा, जिसके व्यय का दायित्व निविदाकार का होगा, कार्य के दौरान श्रमिक के रोग ग्रस्त या दुर्घटना ग्रस्त होने पर सम्पूर्ण जिम्मेदारी निविदाकार की होगी।
- (x) ठेकेदार/एजेन्सी द्वारा निम्न अधिनियमों एवं समय समय पर किये संशोधन के प्रावधानों की

पालना भी सख्ती से की जावेगी। अन्यथा ठेका शर्तों का उल्लंघन माना जावेगा।

- a. बोनस भुगतान अधिनियम, 1965
 - b. औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947
 - c. वर्कमैन कम्पन्सेसन अधिनियम, 1923
 - d. भारतीय कारखाना अधिनियम,
 - e. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948
 - f. पारिश्रमिक भुगतान अधिनियम, 1936
 - g. औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946
 - h. कान्ट्रेक्ट लेबर एबालिशन एण्ड रेग्यूलेशन अधिनियम
 - i. कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952
 - j. वेतन भुगतान अधिनियम 1936
 - k. अन्य श्रम अधिनियम जो संयंत्र पर लागू हैं।
- (xi) उक्त समस्त प्रावधान ठेकेदार/एजेन्सी पर अनुबंध अनुसार अनुबन्ध अवधि में लागू रहेगी व उक्त प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक कार्मिक को मुख्य रूप से चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व ठेकेदार/एजेन्सी का रहेगा व इस हेतु किसी प्रकार की जिम्मेदारी संयंत्र की नहीं होगी लेकिन यदि शास्ति संयंत्र पर लगाई जाती है तो ठेकेदार/एजेन्सी से वर्तमान व भविष्य में न्यायिक प्रक्रिया द्वारा वसूली करने हेतु संयंत्र स्वतंत्र रहेगा।
- (xii) प्रतिष्ठानसमस्त श्रम व औद्योगिक अधिनियमों/नियमों के अधीन कार्यरत हैं। अतः उक्त अधिनियमों, नियमों के प्रावधानों व उपबंधों की पालना करने व इन अधिनियमों के सम्बद्ध या राज्य सरकार के संबंधित कार्यालय से करावें।
- (xiii) वर्कमैन कम्पनसेशन एक्ट एवं अन्य एक्ट के अन्तर्गत संयंत्र को सभी दायित्वों, हानि, क्लेम, क्षतिपूर्ति व्यय आदि से मुक्त रखना होगा। किसी भी एक्ट के अन्तर्गत किसी भी सक्षम अधिकारी द्वारा समय पर जारी निर्देश, परिपत्र, सूचना जो कि ठेकेदार/एजेन्सी के कर्मचारियों से सम्बन्धित हैं, से भी संयंत्र को मुक्त रखना होगा।
- (xiv) ठेकेदार द्वारा कोई भी बाल श्रमिक नहीं लगाया जावेगा, लगाये जाने वाले श्रमिक स्वस्थ एवं 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के होंगे।
- (xv) यह कि ठेकेदार के द्वारा नियुक्त किये गये किसी भी व्यक्ति के द्वारा औद्योगिक विवाद अधिनियम, राजस्थान दुकान एवं वाणिज्य संस्थान अधिनियम, वेतन भुगतान अधिनियम सहित किसी भी श्रम अधिनियम के अंतर्गत किसी भी प्रकार का मुकदमा किसी भी प्रकार के अनुतोष के लिये दायर किया जाता है तो उस मुकदमें में सभी प्रकार की जिम्मेदारी सम्बन्धित ठेकेदार की होगी। ऐसे किसी भी मुकदमें के आधार पर किसी प्रकार की आर्थिक जिम्मेदारी संयंत्र पर आती है तो उसे प्रत्येक प्रकार से वहन करने की जिम्मेदारी सम्बन्धित ठेकेदार की होगी। संयंत्र द्वारा ऐसी राशियों की वसूली/कटौती ठेकेदार से की जा सकेगी।
- (xvi) ठेकेदार को श्रमिकों के उपचार हेतु First-Aid की सुविधा उपलब्ध करानी होगी।

2. कार्य आदेश:

सुरक्षा राशि जमा कराने, अनुबन्ध होने व प्रफॉर्मेन्स गारन्टी एवं अतिरिक्त प्रफॉर्मेन्स बैंक गारन्टी जमा करवाने के उपरान्त कार्य आदेशानुसार कार्य ग्रहण करने की तिथि से एक वर्ष के लिये किया जावेगा, जिसे जयपुर दुग्ध संघ, द्वारा आगामी अधिकतम तीन माह हेतु एक बार के लिये बढ़ाया जा सकेगा।

3. भुगतान प्रक्रिया:

- (i) ठेकेदार/एजेन्सी को कार्य के बिल एक माह की अवधि में देने होंगे। बिल के साथ समस्त

वैधानिक दस्तावेज संलग्न करने के पश्चात ही देय भुगतान आरटीजीएस द्वारा सामान्यतः एक सप्ताह में कर दिया जावेगा। सामान्यतः बिल के विरुद्ध अग्रिम राशि देय नहीं है किन्तु विशेष परिस्थितियों में अथवा लगातार अवकाश पडने के कारण प्रबन्धन को प्रतीत होता है कि अग्रिम धन राशि देना वाजिब है तो विचारणीय हो सकता है।

- (ii) ठेकेदार/एजेन्सी पारिश्रमिक भुगतान रजिस्टर में कार्मिक का नाम, पिता का नाम कार्मिक भविष्य निधि कोड, कार्मिक वर्ग, पारिश्रमिक दर, कुल कार्य दिवस, देय भुगतान, कटौतिया, भुगतान की गई राशि का विवरण देगा व भुगतान के पश्चात सम्बन्धित कार्मिक से रेवेन्यू टिकट पर प्राप्ति रसीद प्राप्त करना सुनिश्चित करेगा अन्यथा कार्मिक को उसकी पारिश्रमिक का भुगतान किया जाना नहीं माना जावेगा व प्रति माह संबंधित अधिकारी को सत्यापन हेतु अवलोकन करवाना होगा।

4. शास्ति:

- (i) श्रमिकों को समय पर भुगतान न करने की स्थिति में शास्ति आरोपित की जावेगी व प्रबन्धन अपने स्तर पर श्रमिकों को भुगतान करने के लिये स्वतन्त्र होगा एवं इसकी वसूली जमा सुरक्षा राशि/प्रफॉर्मेन्स गारन्टी/अतिरिक्त प्रफॉर्मेन्स बैंक गारन्टी से काट ली जावेगी।
- (ii) जगह की उपलब्धता होने पर प्रतिदिन 300 टन कच्चा माल अनलोड करना व डम्पिंग का कार्य करना होगा अन्यथा 1000/- प्रति दिन शास्ति लगाने का अधिकार प्रबन्धन को होगा, जिसकी वसूली निविदाकार के बिलों से की जावेगी। यदि 300 टन से कम माल गेट पर होता है तो वह सभी गाडियां उसी दिन अन-लोड करवानी आवश्यक होगी। (गेट पर इतने कच्चे- माल की गाडियां न होने पर उस दिन को गणना से मुक्त रखा जायेगा।
- (iii) चाही गई निर्धारित श्रमिक संख्या के अनुसार श्रमिक उपलब्ध करवाने होंगे यदि वांछित संख्या में ठेकेदार द्वारा श्रमिक उपलब्ध नहीं करवाये जाते हैं तो प्रति श्रमिक प्रति शिफ्ट 500/- रूपयों के हिसाब से पेनल्टी आरोपित की जावेगी एवं बिना किसी पूर्व सूचना के अन्य माध्यम से श्रमिकों को ठेकेदार के हर्जे खर्चे पर लगाया जावेगा, जिसके नुकसान की भरपाई संबंधित ठेकेदार से की जावेगी।
- (iv) किसी भी शर्त के उल्लंघन पर धरोहर राशि/प्रफॉर्मेन्स गारन्टी/अतिरिक्त प्रफॉर्मेन्स बैंक गारन्टी और अन्य कोई बकाया भुगतान जब्त किया जा सकता है, जिसका सम्पूर्ण उत्तदायित्व स्वयं ठेकेदार का होगा।
- (v) यह कि दुग्ध संघ के द्वारा अनुबंध को इसकी किसी भी शर्त के उल्लंघन के कारण निरस्त किया जाता है तो दुग्ध संघ को यह अधिकार होगा कि वह स्वयं को हुए नुकसान की भरपायी सम्बन्धित ठेकेदार से करें। इसके अतिरिक्त दुग्ध संघ द्वारा ठेकेदार की जमा कराई गयी अमानत राशि व सुरक्षा राशि/प्रफॉर्मेन्स गारन्टी/अतिरिक्त प्रफॉर्मेन्स बैंक गारन्टी को भी जब्त किया जा सकता है।
- (vi) आने वाले कच्चे माल के ट्रक पूरी तरह से आठ घण्टे में खाली नहीं होने पर देरी के लिए प्रति ट्रक रूपये 100/- प्रति घण्टा के हिसाब से पेनल्टी स्वरूप बिलों से अथवा सुरक्षा राशि से कटौती की जायेगी।
- (vii) ठेकेदार/एजेन्सी यह सुनिश्चित करेगा कि समस्त ठेका कार्मिकों को हर माह की समाप्ति पर अगले माह की सात तारीख तक सम्बन्धित को पारिश्रमिक भुगतान करें। इसमें किसी प्रकार की चूक होने पर सौ रूपये प्रतिदिन/प्रति कार्मिक की शास्ति आरोपित की जावेगी। कार्मिकों को देय पारिश्रमिक में से किसी प्रकार की अवैधानिक कटौती करने पर बकाया पारिश्रमिक व दस गुना शास्ति ठेकेदार/एजेन्सी से वसूल की जावेगी। ठेकेदार द्वारा बिल भुगतान हेतु सभी आवश्यक दस्तावेज पशु आहार संयन्त्र, कालाडैरा पर प्रस्तुत करने होंगे, जिसका सत्यापन उपरान्त ही भुगतान किया जा सकेगा।

- (viii) ठेकेदार या उसका कोई भी ठेका श्रमिक पशु आहार संयन्त्र में किसी भी प्रकार की चोरी करते पाये जाने पर उस वस्तु के मूल्य का दस गुणा तक राशि की वूसली की जावेगी।
- (ix) स्वीकृत निविदादाता का कार्य अनुबन्ध अवधि में सन्तोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में कुल तीन बार नोटिस देकर ठेका निरस्त कर दिया जावेगा एवं जमा सभी राशि जब्त कर ली जावेगी।
- (x) गोदाम तथा संयंत्र में गुटखा खाना/मद्वपान/धूम्रपान/खाना-पीना/सोना/लेटना सख्त मना है, जिसकी पालना करनी होगी। श्रमिकों के चाल चलन अनुशासन की पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। जलपान व भोजन खाने हेतु निर्देशित स्थान ही उपयोग में लिया जावेगा। उक्त की अवहेलना करने पर प्रति कर्मकार 100/- की शास्ति आरोपित की जावेगी।
- (xi) सिक्क्योरिटी मेनगेट पर प्रत्येक ठेका श्रमिक के कार्य पर उपस्थित होने एवं कार्य समय पूर्ण होने पर परिसर से बाहर जाने का समय अंकित होगा।
- (xii) यदि राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा जीएसटी की दरों में वृद्धि/कमी की जाती हैं तो उसका समायोजन तदानुसार किया जावेगा। इसके अलावा अन्य कोई नया कर निविदा के पश्चात निर्धारित किया जाता है तो उसका भुगतान देय दरोंके अतिरिक्त होगा।
- (xiii) यह कि ठेकेदार के द्वारा नियोजित किसी भी कार्मिक जयपुर दुग्ध संघ में अथवा इनमें से किसी के द्वारा संचालित किसी भी यूनिट का कार्मिक नहीं माना जावेगा। किसी भी ठेकेदार के द्वारा नियोजित किसी भी कार्मिक के द्वारा औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत अथवा अन्य किसी भी अधिनियम के अंतर्गत जयपुर दुग्ध संघ/पशु आहार संयन्त्र, कालाडेरा के खिलाफ किसी भी प्रकार का मुकदमा स्थायी नियोजन के लिये किया जाता है तो उसकी सभी प्रकार की जिम्मेदारी संबंधित ठेकेदार की होगी। पशु आहार संयन्त्र, कालाडेरा ठेकेदार के किसी भी कार्मिक को स्वयं के यहां किसी भी प्रकार से स्थाई नियोजन नहीं देंगे और स्वयं की सेवा में भी नियोजित नहीं करेंगे।
- (xiv) यह कि प्रशासन के द्वारा निर्देशित किये जाने पर ठेकेदार के द्वारा किसी भी कार्मिक को ठेकेदार तुरन्त हटा लेगा और उसके स्थान पर 24 घण्टे के भीतर दूसरा कार्मिक कार्य पर लगायेगा।
- (xv) उक्त समस्त शर्तों, ठेका स्वीकृत होने पर निष्पादित किये गये अनुबंध का हिस्सा रहेगी व अनुबंध की शर्तों के रूप में उपरोक्त समस्त शर्तें ठेकेदार/एजेन्सी पर लागू रहेगी।
- (xvi) यह कि ठेकेदार के द्वारा नियुक्त कर्मचारी के कार्य का सुपरवीजन, कन्ट्रोल, डायरेक्शन व वेतन भुगतान की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।
- (xvii) ठेकेदार द्वारा श्रमिकों को पारिश्रमिक का भुगतान प्रत्येक माह की 07 तारीख तक करना आवश्यक होगा।
- (xviii) कार्य विवरण में उल्लेखित समस्त कार्य ठेकेदार को अपने श्रमिकों से पूर्ण कराने की स्वयं की जिम्मेदारी होगी। केवल श्रमिक उपलब्ध करा देना पर्याप्त नहीं होगा, स्वयं ठेकेदार या उसके प्रतिनिधि को प्रत्येक पारी में कार्य सम्पादित कराने के लिए उपस्थित रहना होगा। प्रतिनिधियों के नाम व मोबाईल नम्बर पूर्व में ही प्रबन्धन पशु आहार संयन्त्र को देने होंगे।
- (xix) ठेकेदार तथा श्रमिकों को सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा दिये गये निर्देशों की पालना करनी होगी। अनुशासनहीन या अवांछित श्रमिक को कार्य स्थल से तुरन्त बाहर भेज दिया जावेगा तथा संयन्त्र परिसर में नहीं आने दिया जावेगा।
- (xx) कार्य आवश्यकतानुसार ही कराया जावेगा। किसी भी प्रकार के कार्य व न्यूनतम कार्य की कोई गारण्टी नहीं है।
- (xxi) निविदादाता को बीआईएस (भारतीय मानक ब्यूरो) के नियमों के अन्तर्गत गुणवत्ता को बनाये रखने के लिये संयन्त्र द्वारा दिये गये निर्देशों की अनुपालना करते हुये कार्य करना होगा।
- (xxii) निविदादाता को एनएससी (राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद) की अनुशंसा के आधार पर संयन्त्र परिसर के प्रोसेसिंग यूनिट/आरएमजी/एफएमजी एवं सायलों इत्यादि में सुरक्षा नियमों का पालन करते हुये

कार्य सम्पादित (Proper material handling & Stacking of raw material) करना होगा, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार की होगी।

- (xxiii) निविदादाता को उत्पादन पॉइन्ट/आरएमजी/एफएमजी/संयन्त्र में स्थापित सायलों (संयन्त्र परिसर के पॉइन्ट) इत्यादि स्थल की रोजाना साफ-सफाई करनी होगी तथा संयन्त्र के उक्त स्थल को स्वच्छ रखना होगा। किसी भी प्रकार की गन्दगी पाये जाने की स्थिति में प्रतिदिन प्रति पॉइन्ट 1000/- की शास्ति संयन्त्र द्वारा लगाई जावेगी। साथ ही अन्य व्यवस्था कर किसी अन्य श्रमिक से कार्य करवाया जाता है तो अतिरिक्त खर्च का वहन सफल निविदादाता से किया जावेगा।
- (xxiv) निविदादाता द्वारा संयन्त्र परिसर को हाईजैनिक कण्डिशन में रखा जाना होगा। यदि निविदादाता द्वारा संयन्त्र परिसर को हाईजैनिक कण्डिशन नहीं रखा जाता है अथवा कार्य में किसी भी प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त होती है तो प्रतिदिन 1000/- की शास्ति संयन्त्र द्वारा लगाई जावेगी। साथ ही अन्य व्यवस्था कर किसी अन्य श्रमिक से कार्य करवाया जायेगा, जिसके लिये अतिरिक्त खर्च का वहन सफल निविदादाता से किया जावेगा।
- (xxv) ठेकेदार को श्रमिकों के आधार कार्ड/पहचान पत्र इत्यादि रखने होंगे एवं आवश्यकता पडने पर संस्था द्वारा चाहे गये श्रमिकों के शैक्षणिक दस्तावेज इत्यादि उपलब्ध कराने होंगे।
- (xxvi) सफल निविदादाता को संघ का नोमिनल सदस्य बनना होगा। इस हेतु रूपये 110/- नकद संघ में जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जावेगी एवं इसकी प्रतिलिपि टेण्डर कमेटी को देनी होगी।
- (xxvii) निविदादाता को निम्नानुसार पॉन्ट्स पर प्रति पारी में श्रमिक उपलब्ध कराने होंगे।

Minimum Manpower Required on Each Working Day			
Sr No	Activities	Persons/ Shift	No of Shifts/ Day
1	Unloading Raw Material	18	1
2	Dumping Raw Material	4	3
3	Used Bag Handling & Cleaning RMG/ surroundings	4	2
4	Bagging CF	2	3
5	Stacking in Godown & Loading CF in trucks	10	3
6	Stampling Bags	1	1
7	Collection, Sorting & Dumping of spillover material	2	2
8	RMG, FMG, Processing Unit	2	2
9	Silo Point	1	1

उपरोक्त टैबल के बिन्दु संख्या 01 से 09 तक अंकित कार्य हेतु सिफ्ट वाईज आवश्यक कर्मकार उपलब्ध करवाया जाना अनिवार्य होगा। अनुपस्थित होने की दशा में प्रति कर्मकार प्रतिदिन 500/- की शास्ति आरोपित की जायेंगी।

अनुभाग III (B)

निविदा की सामान्य शर्तें

1. निविदा प्रपत्र दो भागों में है (तकनीकी भाग – भाग अ एवं वित्तीय भाग – भागब)। निविदादाता द्वारा दोनों भाग अलग अलग भरे जाने हैं एवं दोनों ही भाग अलग अलग लिफाफों में सीलबंद कर प्रस्तुत करना होगा तथा लिफाफे पर फर्म का नाम इत्यादि विवरण अंकित करना आवश्यक है। ई-टेंडर होने की स्थिति में भाग "अ" तथा भाग "ब" अलग-अलग अपलोड किये जाने हैं।
2. निविदादाता द्वारा प्रस्तुत निविदा के भाग "अ" के साथ विशेष शर्तों के अनुसार धरोहर राशि (अरनेस्ट मनी), टेंडर फार्म फीस के ड्राफ्ट **केटल फीड प्लान्ट, कालाडेर** के नाम संलग्न करनी होगी एवं टेंडर प्रोसेसिंग फीस का ड्राफ्ट MD RISL के नाम जमा करवाना होगा। जिसके अभाव में निविदा निरस्त मानी जावेगी। सफल निविदादाता की धरोहर राशि सुरक्षा राशि के पेटे समामेलित कर दी जावेगी। ई-टेंडर होने की स्थिति में धरोहर राशि, टेंडर फार्म फीस एवं टेंडर प्रोसेसिंग फीस के ड्राफ्ट की स्कैन की हुई कॉपी भाग "अ" के साथ अपलोड की जानी है तथा मूल ड्राफ्ट इस कार्यालय में दिये गये निर्देशों के अनुसार जमा करानी आवश्यक है।
3. असफल निविदादाताओं को निविदा प्रक्रिया पूर्ण होते ही उनकी धरोहर राशि लौटा दी जावेगी।
4. धरोहर राशि निम्न कारणों से जब्त की जायेगी :-
 1. यदि निविदादाता निविदा खुलने के पश्चात अपनी निविदा वापस लेता है या परिवर्तन करता है।
 2. यदि निविदादाता दर स्वीकृति पत्र में दिये गये समय के अंदर सुरक्षा राशि एवं अनुबन्ध नहीं करता है।

नोट : यदि उक्त कारण से निविदादाता की धरोहर राशि जब्त की जाती है तो वह पार्टी भविष्य में संघ में किसी भी निविदा प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेगी। ऐसे निविदादाता जिनकी धरोहर राशि पूर्व में जब्त की जा चुकी है वे इस निविदा में भाग लेने के लिये अयोग्य होंगे।

5. भाग "अ"के साथ सभी प्रकार के दस्तावेज इत्यादि संलग्न/अपलोड किये जाने आवश्यक है। कोई भी आवश्यक दस्तावेज नहीं होने की स्थिति में निविदा अस्वीकृत कर दी जावेगी। भाग "ब"के लिफाफे में सिर्फ वित्तीय भाग ही होना चाहिए।
6. सफल निविदादाता को (विशेष शर्तों के अनुसार, यदि आवश्यक हो तो) बैंक गारन्टी दिया जाना अनिवार्य हैं। जो कि अनुबन्ध समाप्ति की अवधि के छः माह पश्चात तक की होना अनिवार्य हैं।
7. अनुबंध की अवधि को संतोषजनक कार्य होने की स्थिति में तीन माह हेतु उन्हीं शर्तों पर बढ़ाया जा सकेगा।
8. अनुबन्ध हस्ताक्षरित करने से पूर्व विशेष शर्तों के अनुसार सिक्कूरिटी के रूप में अनुबन्ध राशि की 5 प्रतिशत, राशि जमा करानी होगी जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। सुरक्षित राशि अनुबन्धित कार्यावधि सफलतापूर्वक समाप्ति के 6 माह पश्चात निम्न शर्तें पूरी हो जाने के उपरान्त चैक से लौटाई जा सकेगी :-

- (अ) निविदादाता को अनुबन्ध समाप्ति उपरान्त एक इण्डेमनिटी बाण्ड सौ रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर हस्ताक्षर करने पर।
- (ब) सभी सम्बन्धित अनुभागों से बकाया नहीं प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर।
- (स) श्रमिक अधिनियमों के अन्तर्गत भविष्य निधि, राज्य कर्मचारी बीमा नियममें जमा का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर (यदि आवश्यक हो तो)।
- (द) कॉन्ट्रैक्ट लेबर अबोलिशन एक्ट के अधीन श्रमिकों के उपस्थिति, वेतन भुगतान भविष्य निधि योजना व जमा राशि इत्यादि की औपचारिकतायें पूरी किये जाने के सम्बन्ध में निर्धारित प्रपत्रों, पंजिकाओं में रिकार्ड संधारण किये जावेगें तथा आवश्यकता पर प्रतियॉ प्रस्तुत करनी होगी।(यदि आवश्यक हो तो)।

- (य) सभी वैधानिक आवश्यकताये मय आयकर/टैक्स (यदि हो तो) व अन्य टैक्स नियमानुसार जमा करवाने की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। अनुबंधकर्ता द्वारा टेक्स जमा कराने सम्बन्धी दस्तावेज की प्रतिलिपि (यदि आवश्यक हो तो) प्रस्तुत करनी होगी।
9. निविदा प्रपत्र के विशेष शर्तोंमें कार्य सम्बन्धी समस्त विवरण व शर्तों का विवरण दिया गया है। निविदादाता को इनके प्रत्येक पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर अंकित करके चाहे गये समस्त दस्तावेजों को स्वयं सत्यापित फोटो प्रति तथा अमानत राशि का ड्राफ्ट संलग्न करते हुये पृथक रूप से एक मोहरबन्द लिफाफे में जिस पर निविदा कार्य का नाम व “भाग अ” अंकित करना होगा। ई-टेंडर होने की स्थिति में भाग अ तथा भाग ब अलग अलग अपलोड किये जाने हैं ।
 10. निविदा प्रपत्र का भाग “ब” में निविदादाता द्वारा दी जाने वाली दर भरी जानी है तथा इस दर के प्रपत्र को एक पृथक मोहरबन्द लिफाफे में जिस पर कार्य का नाम व भाग “ब ” अंकित हो प्रस्तुत की जानी है। ई-टेंडर होने की स्थिति में भाग “ब ” निर्धारित प्रपत्र में अलग अपलोड किया जाना हैं।
 11. उपरोक्त दोनों मोहरबन्द लिफाफे को एक अन्य लिफाफे में मोहरबन्द करके उस पर कार्य विवरण व निविदा खुलने की तारीख अंकित करते हुये निर्धारित अवधि से पूर्व प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। यह सिर्फ उन निविदाओं के लिए लागू होगा जिसमें ई-निविदा नहीं भरी जानी है।
 12. निविदादाता द्वारा सम्बन्धित कार्य के लिये प्रस्तुत की जाने वाली निविदा के भाग “अ” में चाही गई वांछित सूचनाएं एवं दस्तावेजों व निर्धारित ई.एम.डी. (अमानत राशि) जमा होने के आधार पर योग्य पाये जाने वाले निविदादाताओं की निविदाओं के सम्बन्धित भाग “ब” को खोला जावेगा ।
 13. निविदादाता द्वारा प्रस्तुत निविदा पत्र के भाग “अ” में किसी भी अपूर्ण सूचना अथवा सम्बन्धित दस्तावेजों की सत्यापित प्रति या ई.एम.डी. (अमानत राशि) के अभाव में अयोग्य घोषित किये जाने पर उनके द्वारा प्रस्तुत भाग “ब” पर विचार नहीं किया जावेगा ।
 14. निविदा पत्र के भाग “ब” में सम्बन्धित कार्य हेतु निविदादाता द्वारा प्रस्तुत दरो का उल्लेख अंको एवं शब्दों में स्पष्ट रूप से अंकित करना आवश्यक होगा । किसी प्रकार की ओवरराईटिंग पर सूक्ष्म हस्ताक्षर करना होगा। किसी संशय की स्थिति में शब्दों में लिखी राशि को ही मान्य किया जावेगा। ई-टेंडर होने की स्थिति में दरें निर्धारित प्रपत्र में ही भरी जानी है।
 15. सफल निविदादाता को जयपुर दुग्ध संघ का नोमिनल सदस्य बनना आवश्यक है।
 16. किसी प्रकार की शर्त जोड़ने एवं हटाने का अधिकार निविदादाता को नहीं होगा।
 17. निविदादाता को निविदा पत्र के समस्त पृष्ठों पर हस्ताक्षर करना आवश्यक होगा। ई-टेंडर होने की स्थिति में प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर अपलोड किया जाना होगा।
 18. किसी भी निविदा को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार प्रबन्ध संचालक महोदय में निहित रहेगा।
 19. फर्म के प्रकार में किसी भी तरह का परिवर्तन होने पर अनुबंधकर्ता को इस कार्यालय में सूचित करना आवश्यक है। परन्तु यह परिवर्तन किसी भी पूर्व पार्टनर को अनुबंध के दायित्व से मुक्त नहीं करेंगीं । परिवर्तन के पश्चात भी अनुबंधकर्ता फर्म अनुबंध की शर्तों से बंधी हुई रहेंगी ।
 20. कार्य आदेश देने के 15 दिवस के अन्दर समस्त औपचारिकतायें पूर्ण कर कार्य प्रारम्भ करना होगा । जिसके अभाव में कार्य आदेश निरस्त कर अमानत राशि जब्त की जा सकेगी ।
 21. किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायाधिकरण क्षेत्र जयपुर मान्य होगा ।
 22. निर्धारित अवधि के बाद प्रस्तुत/अपलोड किये गये निविदा प्रपत्र पर विचार नहीं किया जावेगा ।
 23. निविदायें सीलबन्द लिफाफे में प्रकाशित निविदा सूचना एवं ठेके की शर्तों के अनुसार निर्धारित समय में संलग्न प्रार्थना पत्र में अपना पूरा स्थायी पता व पत्र व्यवहार करने का पता टेलीफोन नम्बर अपना ई-मेल पता इत्यादि बिना किसी अधिलेखन (OVER WRITING) के प्रविष्टियाँ पूर्ण कर प्रत्येक पृष्ठ पर इस आशय के साथ कि मैंने प्रत्येक शर्त को पढ लिया है व समझ लिया है अपने हस्ताक्षर कर जमा कराना होगा। निविदादाता /अनुबंधकर्ता को कोई भी सूचना उसके ई-मेल के पते पर प्रेषित की जा सकती है। ई-मेल पर भेजी गई सूचना निविदादाता/अनुबंधकर्ता को उसी दिन प्राप्त हुई मानी जावेगी ।
 24. डेयरी प्रशासन द्वारा निविदादाता के कार्यालय एवं अन्य संस्थाओं , जंहा विशेष शर्तों के अनुसार अनुभव प्रमाण पत्र निविदादाता द्वारा दिया गया है, का अवलोकन किया जा सकता है ।

25. यदि कोई निविदादाता द्वारा कोई तथ्य छुपाया जाता है जोकि अनुबन्ध अवधि में सामने आता है तो अनुबंध निरस्त कर धरोहर राशि/सुरक्षा राशि/बैंक गारंटी एवं अन्य देय भुगतान जब्त कर लिया जावेगा ।
26. व्यवस्था में परिवर्तन होने पर एवं संघ हित में अनुबंध अवधि से पूर्व समाप्त करने का अधिकार संघ के पास होगा ।
27. संघ हित में विशेष परिस्थिति उत्पन्न होने पर अनुबंध की शर्तों में कोई शर्त जोड़ी या घटाई जा सकती हैं।
28. अनुबंध की अवधि अनुबंधित कार्य प्रारम्भ करने के दिन, जिसकी गणना अनुबंध में वर्णित समस्त शर्तों को नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबंध हस्ताक्षरित किये जाने के उपरान्त कार्य आवंटन दिनांक से की जावेगी। नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर की कीमत राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र के प्रावधान के अनुसार होगी, जो कि अनुबंध की लागत का 0.25 प्रतिशत तथा अधिकतम 15000/- रु. होगी।
29. मोहरबन्द निविदा निर्धारित तिथि व समय पर जयपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, जयपुर के कार्यालय में खोली जावेगी व उस समय निवेदक स्वयं या उसका अधिकृत प्रतिनिधि को उपस्थित रहने हेतु इजाजत होगी । ऐसा इसलिए भी आवश्यक है कि उस दिन आवश्यक होने पर निविदा दरों पर नेगोशियेशन भी हो सकता है। ई-टेंडर होने की स्थिति में निर्धारित तिथि एवं समय पर निविदाएं डाउनलोड की जावेगी।
30. निविदादाताओं द्वारा प्रेषित की गई दरें जयपुर दुग्ध संघ प्रशासन के पास विचार कर नियमानुसार स्वीकार करने के लिये निविदा खुलने की तिथि से तीन माह तक खुला रखना होगा।
31. अनुबंधकर्ता द्वारा सम्पादित कराये गये कार्य का विवरण के समय निर्धारित प्रपत्र में भुगतान हेतु बिल अनुभाग अधिकारी द्वारा प्रमाणीकरण करवाकर कार्यालय में कार्य पूरा होने अथवा प्रत्येक माह की समाप्ति पर माह की पांच तारीख तक प्रस्तुत किया जायेगा । अनुबंधकर्ता द्वारा प्रस्तुत बिल में से नियमानुसार कटौती की जावेगी ।
32. अनुबंधकर्ता को उस पर लागू समस्त अधिनियमों कानूनों जैसे कारखाना अधिनियम, मजदूरी भुगतान अधिनियम, औद्योगिक विवाद अधिनियम, कांटेक्ट लेबर एक्ट 1970, आयकर अधिनियम, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, बाल श्रमिक रोकथाम एवं रेग्युलेशन एक्ट 1986 एवं आईएसओ 2000 के सिद्धान्तों की अनुपालना स्वयं को करनी होगी ।
33. अनुबंधकर्ता को अपने प्रत्येक कर्मकार के लिये रु. 05 लाख बीमित मूल्य का दुर्घटना बीमा करवाना अनिवार्य है। कार्य के दौरान कर्मकार के साथ किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने पर समस्त कार्यवाही करने का दायित्व अनुबंधकर्ता का होगा ।
34. अनुबंधकर्ता को अपने कर्मकारों का स्वास्थ्य परीक्षण प्रत्येक 06 माह में करवाना आवश्यक है एवं सम्बन्धित रिकार्ड संस्था में देना होगा ।
35. अनुबंधकर्ता अथवा उसका प्रतिनिधि अपने या संघ में किसी अन्य अनुबंध के अधीन सुपरवाइजर/कर्मकार की तरह कार्य नहीं करेगा ।
36. कार्य स्थल पर अनुबंधकर्ता अथवा उसका सुपरवाइजर कार्य के दौरान उपस्थित होना चाहिए ।
37. अनुबंधकर्ता को कोई भी शर्त जोड़ने अथवा हटाने या परिवर्तन करने का अधिकार नहीं होगा। अनुबंधकर्ता द्वारा किसी भी शर्त के उल्लंघन करने पर शास्ति आरोपित करने अथवा बिना किसी नोटिस या कारण बताये अनुबंध समाप्त करने का अधिकार दुग्ध संघ, जयपुर के प्रशासन का होगा।
38. प्रबन्ध निर्देशानुसार कार्य सम्पादित करवाने हेतु अनुबंधकर्ता को स्वयं या उसके द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि/पर्यवेक्षक के माध्यम से सम्बन्धित अनुभाग अधिकारी से अनिवार्य रूप से प्रतिदिन प्रति पारी सम्पर्क स्थापित करना होगा एवं आपात स्थिति में सम्पर्क स्थापित करने हेतु अनुबंधकर्ता या उसके प्रतिनिधि की उपलब्धता के सम्बन्ध में भी प्रबन्ध को अवगत कराना होगा ।
39. Appeals: -Appellate authority-
(i) MD, RCDF Ltd. Jaipur
(ii) Principal Secretary Gopalan, Government of Rajasthan
40. सम्बन्धित अनुबंधकर्ता से अनुबंध अवधि में जो भी सूचना या दस्तावेज इस संघ द्वारा मांगे जावेंगे वे निश्चित अवधि में उपलब्ध करवाने आवश्यक होंगे यदि अनुबंधकर्ता के द्वारा दस्तावेज/सूचना नहीं दी जाती है तो अनुबंध की शर्तों की अवहेलना माना जावेगा तथा प्रबन्धन इस अनियमिता के लिये अनुबंधकर्ता पर शास्ती आरोपित कर सकेगा तथा अनुबंध भी निरस्त किया जा सकेगा ।

41. अनुबंध अवधि के दौरान कार्य अंसतोषजनक होने पर प्रशासन द्वारा अनुबंध निरस्त किया जा सकता है। इस स्थिति में अनुबंधकर्ता की सुरक्षा राशि/बैंक गारंटी एवं अन्य देय भुगतान भी जब्त किये जावेंगे।
42. अनुबंध अवधि के दौरान अनुबन्धित अनुबंधकर्ता द्वारा यदि वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाई जाती है तो अनुबंधकर्ता को बकाया नहीं प्रमाण पत्र एवं धरोहर राशि व अन्य कोई राशि वांछित सूचना उपलब्ध करवाने तक नहीं दी जावेगी। अनुबंध अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात किसी भी अधिकार के अन्तर्गत यदि कोई सूचना वांछित होती है तो वह सूचना अनुबंधकर्ता द्वारा उपलब्ध करवाया जाना आवश्यक होगा
43. निविदा प्रपत्र की सभी शर्तें अनुबंध का हिस्सा होगी।
44. पात्रता की शर्त संख्या 11 में निविदा में भाग लेने से अपात्र माने जाने का आधार निम्नानुसार हैं:-
 1. एक ही ठेकेदार द्वारा समस्त कार्यों का ठेका लेने की सम्भावना बढ जायेगी व किसी भी समय उसके द्वारा कार्य रोके जाने पर पूरा उत्पादन कार्य बाधित हो सकता है।
 2. सुरक्षा व्यवस्था में कार्यरत ठेकेदार यदि अन्य कार्यों का भी ठेका ले लेता है तो उसी के कर्मकार संयन्त्र के अन्दर-बाहर आते जाते रहेंगे। ऐसे में से किसी भी प्रकार की चोरी/अनियमितता होने पर संघ के उच्चाधिकारियों को रिपोर्ट नही करेगें एवं कार्य में पारदर्शिता नही रहेगी।
 3. एक ही ठेकेदार यदि समस्त कार्यों का ठेका ले लेता है तो यह स्वाभाविक रूप से एकाधिकार व हठधर्मिता प्रदर्शित करेगा।
 4. यह है कि निविदा में ज्यादा से ज्यादा निविदादाता भाग लेने चाहिए जिससे प्रतिस्पर्धात्मक रूप से दरे प्राप्त हो सकती हैं। ऐसे में दुग्ध संघ में कार्यरत वर्तमान ठेकेदारों के अतिरिक्त बाहर से ज्यादा से ज्यादा फर्मों को भाग लेने हेतु प्रोत्साहन मिलेगा।
उपरोक्त समस्त शर्तें पढ ली हैं व मान्य हैं।

NOTE- Important Instruction:- The Law relating to procurement “The Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012” [hereinafter called the Act] and the “Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules, 2013” [hereinafter called the Rules] under the said Act have come into force which are available on the website of State Public Procurement Portal <http://sppp.rajasthan.gov.in> Therefore, the Bidders are advised to acquaint themselves with the provisions of the Act and the Rules before participating in the bidding process. If there is any discrepancy between the provisions of the Act and the Rules and this Bidding Document, the provisions of the Act and the Rules shall prevail.

अनुभाग IV :

फॉर्म / दस्तावेज जो की प्रस्तुत किये जाने हैं:-

Form -1

TECHNICAL PROPOSAL SUBMISSION FORM

(On the letter head of the Bidder)

{Location, Date}

To

Managing Director,

Jaipur Zila Dugdh Utpadak Sahakari Sangh Ltd.,

Near Gandhi Nagar Railway Station, Jaipur-302015, Rajasthan

Dear Sir,

We, the undersigned, offer to provide the services for service contract unloading of raw material from trucks, dumping, bundle packing (old bardana), cattle feed bagging, staking, and loading of trucks. In accordance with your Bid Proposals dated [Insert Date]. We are hereby submitting our Proposal, which includes this Technical Proposal and a Financial Proposal as e-procurement portal i.e. <http://eproc.rajasthan.gov.in>

We hereby declare that:

- (a) All the information and statements made in this Bid/Proposal are true and we accept that any misinterpretation or misrepresentation contained in this Bid/Proposal may lead to our disqualification by the Management of Cattle Feed Plant, Kaladera, A Unit of: Jaipur Zila Dugdh Utpadak Sahakari Sangh Ltd., Jaipur and action may be taken against us under the provisions of the Act and the Rules.
- (b) Our Proposal shall be valid and remain binding upon us for the required period of 90 Days.
- (c) We declare that we have complied with the and shall continue to comply with the provisions of Code of Integrity contained in the Bid Document in competing for and in execution of the Contract and that we have no conflict of interest in accordance.
- (d) We meet the Eligibility and Qualification criteria as required in the Bid Document.
- (e) Our Bid/Proposal is binding upon us and subject to any modifications resulting from the Contract negotiations.
- (f) We undertake, if our Proposal is accepted and the Contract is signed, to initiate the Services related to the assignment no later than the period stated in the Bid Document.
- (g) We understand that the Cattle Feed Plant A unit of Jaipur Zila Dugdh Utpadak Sahakari Sangh Ltd., Jaipur is not bound to accept any Proposal that it receives.

We remain,

Yours sincerely,

Authorized Signature {In full and initials}: _____

Name and Title of Signatory: _____

Name of Bidder (firm's/ company's name): _____

In the capacity of: _____

Address: _____

Contact information (phone and e-mail): _____

Form-2**BIDDER'S ORGANIZATION AND EXPERIENCE**

Form-2: a brief description of the Bidder's organization and an outline of the recent experience of the Bidder that is most relevant to the assignment. For each assignment, the outline should indicate, the duration of the assignment, the contract amount and the Bidder's role/involvement.

Bidder's Organization

- 1- Name & full address of the firm -----
Submitting the tender (In block letters)

Mobile No. -----Email address-----
- 2- Addressed to : JZDUSS. Ltd., Near Gandhi Nagar Railway station Jaipur 302015
- 3- Office Location (Complete address) -----
Mobile No.
Email address
- 4- Name of the person/sauthorizedtoNegotiate and sign the contract
(Designation / status inthefirm)
(Enclose an attested photocopy of power of attorney issued by all partners/director in favour of nominated person).
- 5- Status of tendererwith signature : Individual/ HUF/ firm/ company
(tick mark only) (Specify the details in enclosed annexure-I)
(Mandatory: Before making any change in constitution of the firm, it will be intimated to JZDUSS LTD., Jaipur for approval)
- 6- Earlier experience in this field (ifany) : Enclose the document/s.
- 7- Tender Fee Details: Rs..... DD No..... date...../2026
CATTLE FEED PLANT KALADERA/ Name of the Bank Branch.....
(The DD should be in favour of CATTLE FEED PLANT KALADERA payable at Jaipur)
- 8- EMD Details: Rs. DD No..... dated...../2026
CATTLE FEED PLANT, KALADERA/ Issued by Bank Branch.
(DD should be infavour of CATTLE FEED PLANT, KALADERA, payable at Jaipur. No interest will be payable on EMD.)
- 9- MD RISL Processing Fees DD No..... Date.....Bank Name.....(in favour of MD RISL)
10. (a) PAN Card/No (Attach attested Photocopy)
(b) GSTN No (Attach attested Photocopy)
11. Details of the Bankers: Name.....
Branch..... District..... State.....
Acct. No..... IFSC Code.....

FORM – 3
(ON FIRM'S LETTER HEAD)
ANNUAL TURN OVER STATEMENT

The average annual turnover of M/s -----(Name of Firm) and address ----- for the past three financial year are given below are based on the audited final accounts if bidder (ITR, P&L) account and Balance Sheet) and certified that the statement is true and correct:-

Sr No.	Financial Year	Turnover (In Rs.)
1		
2		

Average Annual Turnover Rs.

Note: The turnover for any two years must be minimum Rs. 1 crore each year.

Date	Signature of the Bidder	Signature of Auditor/Seal Chartered Accountant Name & Address Reg. No. Tel. NO. Mob. No. UDIN Number of the C.A.
------	-------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FORM -4

Bid Security in form of Bank Guarantee*[To be issued by a Scheduled Bank in India and must be duly stamped]**[insert Bank's Name, and Address of Issuing Branch or Office]***Beneficiary:**

The Managing Director
 Jaipur Zila Dugdh Utpadak Sahakari Sangh Ltd.,
 Near Gandhi Nagar Railway Station, Jaipur-302015 Rajasthan
 Date: *[insert date]*

BID GUARANTEE No.: *[insert number]*

We have been informed that *[insert name of the Bidder]* (hereinafter called "the Bidder") has submitted to you its Bid dated *[insert date]* (hereinafter called "the Bid") for the execution of services for :-

For Unloading of raw material form truck, dumping, bundle packing (old bardana), bagging, packing, stacking, loading of cattle feed in trucks, etc.

Under Bid No. *[insert BID number]*. Furthermore, we understand that, according to your conditions, bid must be supported by a Bid Security.

At the request of the Bidder, we *[insert name of Bank]* hereby irrevocably undertake to pay you any sum or sums not exceeding in total an amount of *[insert amount in figures]* *[insert amount in words]* upon receipt by us of your first demand in writing accompanied by a written statement stating that the Bidder is in breach of its obligation(s) under the Bid/Tender conditions, because the Bidder:

- (a) has withdrawn its Bid/Tender during the period of Bid validity specified by the Bidder in the Form of Bid; or
- (b) Having been notified of the acceptance of its Bid by the Cattle Feed Plant, Kladera, A unit of Jaipur Zila Dugdh Utpadak Sahakari Sangh Ltd., Jaipur during the period of Bid/Tender validity,
 - (i) Fails or refuses to execute the Contract Form, if required,
 - (ii) Fails or refuses to furnish the performance security/additional performance security in accordance with the Instructions to Bidders (ITB),
 - (iii) Does not accept the correction of errors in accordance with the ITB, or
- (iv) Breaches any provision of the Code of Integrity specified in ITB;

This guarantee will expire: (a) if the Bidder is the successful Bidder, upon our receipt of copies of the contract signed by the Bidder and the performance security issued to you upon the instruction of the Bidder; and (b) if the Bidder is not the successful Bidder, upon the earlier of (i) our receipt of a copy your notification to the Bidder of the name of the successful Bidder; or (ii) 120 days after the expiration of the Bidder's Bid/Tender.

Consequently, any demand for payment under this guarantee must be received by us at the office on or before that date.

The Guarantor has power to issue this guarantee and discharge the obligations contemplated herein, and the undersigned is duly authorised to execute this Guarantee pursuant to the power granted under _____.

Name _____

In the capacity of _____

Signed _____

Duly authorized to sign the Bid Security for and on behalf of _____

Date _____

Bank's Seal _____ of Bid Security

FORM -5
(ON THE LETTER HEAD OF THE BIDDER)
Declaration by the Bidder in compliance of Section 7 & 11 of the Act
Declaration by the Bidder

In relation to our Bid/Tender submitted to Managing Director, Jaipur Zila Dugdh Utpadak Sahakari Sangh Ltd., Jaipur-302015, Rajasthan

For unloading of raw material from truck, dumping, bundle packing (old bardana), bagging, packing, stacking, loading of cattle feed in trucks, etc

In response to their Bid/Tender No..... Dated we hereby declare under Section 7 and 11 of the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that;

1. We possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Cattle Feed Plant, Kaladera.
2. We have fulfilled our obligation to pay such of the taxes payable to the Central Government or the State Government or any local authority, as specified in the Bidding Document;
3. We are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have our affairs administered by a court or a judicial officer, not have our business activities suspended and are not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. We do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. We do not have a conflict of interest as specified in the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, the Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules and this Bidding Document, which materially affects fair competition;
6. We have complied and shall continue to comply with the Code of Integrity as specified in the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, the Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules and this Bidding Document, till completion of all our obligations under the Contract.

Date:

Signature of Bidder/service provider

Place:

Name :

Designation:

Address:

FORM -6
(ON THE LETTER HEAD OF THE BIDDER)
POWER OF ATTORNEY

(On Stamp paper of appropriate value and attested by notary)

Know all men by these presents, We.....(name and address of the registered office) do hereby constitute, appoint and authorize Mr / Ms.....(name and residential address) who is presently employed with us and holding the position of as our attorney, to do in our name and on our behalf, all such acts, deeds and things necessary in connection with or incidental to our Bid for selection as Bidder for Unloading of raw material from trucks, dumping of raw material, empty bag cleaning by machine& bundle packing (Old Bardana), Loading of packed cattle feed in truck, bagging, packing & stacking etc. Including signing and submission of all documents and providing information/responses to JZDUSS Ltd. in all matters in connection with our Applicant for the said Assignment.

We hereby agree to ratify all acts, deeds and things lawfully done by our said attorney pursuant to this Power of Attorney and that all acts, deeds and things done by our aforesaid attorney shall and shall always be deemed to have been done by us.

Dated this the Day of Acceptance

For Name & signature

(Name and designation of the person(s) signing on behalf of the Applicant)

FORM -7
Format for Pre-bid queries

Name of the Bidder/Service Provider:

Address:

Telephone No.:

Fax No:

Mobile No:

Email ID:

	Section No. – Clause No. – Paragraph/Bullet No.	Corresponding page no in the Bid Document	Particulars of the query / clarification	Remarks of CFP Kaladera, JAIPUR

Authorized Signatory

Designation

[The queries have to be submitted through e-mail in word document (not a PDF) to CATTLE FEED PLANT, KALADERAcp.kaladera@gmail.com latest by 7 Days before the date of Pre-bid Conference. The bidder should send the queries through official e-mail IDs only.]

Form No: 8

—: शपथ – पत्र :-
(On the letter head of the Bidder)

मैं /हम निविदादातापुत्र श्रीपता.....
.....(फर्म के नाम से निविदा भरने की स्थिति में यह शपथ पत्रा फर्म
के प्रोपराइटर/सभी पार्टनर/सभी डायरेक्टर द्वारा भरा जावेगा) सशपथ घोषणा करता हूं कि

1. मैं/हमारे द्वारा जयपुर संघ अथवा संघ के अधिकारियों / कर्मचारियों के विरुद्ध (संघ से सम्बन्धित कार्य के बारे में) किसी भी न्यायालय अथवा कहीं और किसी भी प्रकार का वाद लम्बित नहीं है ।
2. जयपुर संघ द्वारा मेरे/हमारे के विरुद्ध किसी भी न्यायालय अथवा कहीं और किसी भी प्रकार का वाद लम्बित नहीं है ।
3. मेरा/हमारा पूर्व में संघ द्वारा किसी भी कारण से अयोग्य नहीं किया गया है/निलम्बित नहीं / अनुबंध निरस्त नहीं किया गया है/ब्लेक लिस्टेड नहीं किया गया है ।
4. मेरा/हमारा संघ के किसी भी अधिकारी/कर्मचारी/संचालक मण्डल के सदस्य से/दुग्ध समितियों के पदाधिकारी (As on date of submission of tender) वित्तीय सम्बन्ध नहीं है ।
5. मेरा/हमारा संघ के संचालक मण्डल के सदस्य/दुग्ध समितियों के पदाधिकारी/अधिकारी /कर्मचारी से रक्त सम्बन्ध नहीं है ।
6. मैं/हम दिवालिया /नाबालिग/अस्वस्थ मस्तिष्क के नहीं है ।
7. मैं/हम संघ के समान/प्रतिस्पर्धी कार्य/व्यापार मे लिप्त नहीं है।
8. मैं/हम वर्तमान में किसी भी अन्य प्रतिस्पर्धी ब्रांड के कार्यालय/संयंत्र में अनुबंध के अंतर्गत कार्यरत नहीं हैं ।
9. मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र में दी गई घोषणा गलत पाये जाने पर मेरी/हमारी धरोहर /सुरक्षा राशि/बैंक गारंटी/अन्य देय भुगतान संघ में जब्त समझी जावेगी एवं टेण्डर की अवधि के दौरान तथ्य उजागर होने पर टेण्डर को निरस्त भी किया जा सकेगा। जिसके लिए मैं/हम स्वयं जिम्मेदार रहूंगा।

Form No: 9

TENDER ACCEPTANCE DECLARATION

(On the letter head of the Bidder)

Tender Reference No. _____

Tender ID No. _____

Name of Tender / Work / Item _____

Dear Sir,

I / We have downloaded / obtained the tender documents(s) for the above mentioned "Tender / Work / Item" from the web site(s) namely:

_____ as per your advertisement, given in the above mentioned website(s).

1. I / We hereby certify that I/We have read and understood the entire terms and conditions of the tender documents (including all documents like Special Notes, annexure(s), Schedules(s), Specifications of the item(s), etc.) which form part of the contract agreement and I / We shall abide hereby the terms / conditions / clauses contained therein.
2. The corrigendum(s) issued from time to time by your department/ organization too has also been taken into consideration, while submitting this acceptance letter.
3. I / We hereby unconditionally agree & accept the tender conditions of above mentioned tender document(s) corrigendum(s) in its totality / entirety.
4. In case any provisions of this tender are found violated or breached then your department / organization shall without prejudice to any other legal right or remedy be at liberty to reject this tender / bid including the forfeiture of the full said earnest money deposit absolutely.

Yours Faithfully,

(Signature of the Bidder, With Official Seal & Date)

FORM -10

-: शपथ – पत्र :-

(On the letter head of the Bidder)

मैं / हम निविदादाता पुत्र श्रीपता.....
 (फर्म के नाम से निविदा भरने की स्थिति में
 यह शपथ पत्र फर्म के प्रोपराइटर/सभी पार्टनर/सभी डायरेक्टर द्वारा भरा जावेगा) सशपथ
 घोषणा करता हूँ कि

- 1- मेरे द्वारा नियोजित श्रमिकों को नियमानुसार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11, वर्ष 1948) के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना की जावेगी ।
- 2- मेरे द्वारा नियोजित श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान उनके बैंक खातों में ही दिया जावेगा। बैंकखातों में जमा करवायी गयी राशि का विवरण सम्बन्धित उपापन संस्था को आगामी माह के मासिक बिल के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जावेगा।
- 3- मेरे द्वारा श्रम विभाग द्वारा निर्धारित मजदूरी दर के अनुसार श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान किया जावेगा।
- 4- मेरे द्वारा राज्य में लागू श्रम नियमों के अंतर्गत अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ईपीएफएवं ईएसआई की राशि जमा करवायी जावेगी ।
- 5- कार्य सम्पादन की अवधि के दौरान कार्य के सम्बन्ध/संदर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति कामुआवजा देने/ईएसआई करवाने/सामूहिक दुर्घटना बीमा करवाने इत्यादि की जिम्मेदारी मेरी होगी। इसके लिए उपापन संस्था की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी ।
- 6- श्रम विधि के अंतर्गत निर्धारित नियमों उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावेगी। श्रम विधि के अंतर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों, अधिसूचनाओं, दिशा-निर्देशों आदि की पालना नहीं करने की स्थिति में उसके परिणामों/दायित्वों के लिये मेरी जिम्मेदारी होगी ।
- 7- सफल निविदादाता द्वारा श्रमिकों को देय राशि पर वस्तु एवं सेवा कर (GST)की राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी। सभी प्रकार के करों को जमा करवाने की जिम्मेदारी निविदादाता की ही होगी। निविदादाता द्वारा गत माह में जमा कराये गये वस्तु एवं सेवा कर (GST)के चालानकी प्रति आगामी माह के बिल के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न की जावेगी। वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि जमा कराने के प्रमाण स्वरूप चालान की प्रति प्रस्तुत नहीं किये जाने पर आगामी माह के बिल में वस्तु एवं सेवा कर (GST) का भुगतान नहीं किया जावेगा। उक्त स्थिति में वस्तु एवं सेवा कर (GST)के सम्बन्ध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के दायित्वोंके निर्वहन का उत्तरदायित्व निविदादाता का होगा।
- 8- यदि सफल निविदादाता एवं कार्य पर लगाये गये श्रमिकों के मध्य कोई विवाद होता है तो उसकी प्रबन्धकीय जिम्मेदारी निविदादाता की होगी । इसके लिए उपापन संस्था को सक्षमप्राधिकारी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 एवं राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 का उचित प्रकार से तथा निष्ठापूर्वक पालन करने के लिए उत्तरदायी होगा ।
- 9- नियोजित श्रमिकों को 240 दिवस पूर्ण कर लिये जाने पर औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के विहित प्रावधानों के अनुसार श्रम नियोजित श्रमिकों को हटाने, कार्यमुक्त करने, नोटिस वेतन, छंटनी, मुआवजा आदि देने का समस्त उत्तरदायित्व निविदादाता का होगा ।

FORM FIN-1
(FOR DEMONSTRATION PURPOSE ONLY)
FINANCIAL PROPOSAL SUBMISSION FORM
ALL RATES TO BE FILLED IN PRESCRIBED .XLS FILE ONLY
(TO BE UPLOADED IN FINANCIAL BID COVER-2)

FINANCIAL BID

NUMBER #	TEXT #	TEXT #	NUMBER #	TEXT #
Sr. No.	Item Description	Units	BASIC RATE In Figures To be entered by the Bidder in Rs. P	TOTAL AMOUNT In Words
1	2	3	4	5
1	कच्चा माल अनलोडिंग, डम्पिंग, बन्डल पैकिंग बैगिंग, पैकिंग, स्टेकिंग व लोडिंगइत्यादि श्रम कार्याका विवरण :			
1.01	कच्चे माल की बोरियों को वाहन से वांछित तरिके से सेम्पलिंग कराकरनिर्देशित स्थान पर उतारकर चट्टे लगाना चट्टे की साईज (30x20x18) एवं अनलोडिंगके समय बिखरा माल उसी समय भरकर सिलाईकर गोदाम में निर्देशित स्थान पर लगानाशामिल है।	दर प्रति क्विंटल (रु)		INR Zero Only
1.02	कच्चे माल को गोदाम में लगे चट्टे से उतारकर निर्धारित स्थान परडम्प करना या ट्रक में कच्चे माल को उतारकर (Direct) साईलों में भरने के लिए डम्पकरना एवं डम्पिंग के दौरान आस-पास बिखरा माल बोरी में भरकर डम्प करना	दर प्रति क्विंटल (रु)		INR Zero Only
1.03	नया बारदाना (HDPE Bags) के बन्डल/गांठ (लगभग 500 बैग) को वाहन सेउतारकर निर्देशित स्थान पर धांग लगाना।	दर प्रति गांठ/बन्डल (रु)		INR Zero Only
1.04	खाली जूट बारदाने को बेग क्लीनिंग मशीन या झाडकर 50 बोरी का कसकरबन्डल बांधना तथा निर्देशित स्थान पर चट्टे लगाना।	दर प्रति बन्डल (रु)		INR Zero Only
1.05	खाली प्लास्टिक बैग झाडकर (लगभग 500 बैग) कसकर बन्डल बांधना तथा निर्देशित स्थान पर चट्टे लगाना।	दर प्रति क्विंटल (रु)		INR Zero Only
1.06	नये खाली Bags पर बैच नम्बर, दिनांक एवं एम आर पी इत्यादि छपाईकरना।	दर प्रति बैग (रु)		INR Zero Only
1.07	फीड के प्रत्येक बैच में ऐडीटिव (नमक/लाईम स्टोन पाउडर/मिनरलमिक्चर/ विटामिन ए.डी3-ई) लगभग 30 से 50 किलोग्राम का एक बैच बनाकरनिर्देशानुसार डम्प करना।	दर प्रति क्विंटल (रु)		INR Zero Only
1.08	गोदाम के बाहर अनलोड किया गया माल गोदाम में लाकर चट्टे लगाना एवंउसके बिखरे माल को छानकरबोरियों मेंभरकर सिलाई कर गोदाम में चट्टा लगाने का कार्य शामिल है।	दर प्रति क्विंटल (रु)		INR Zero Only
1.09	पक्के माल को बोरियों में भरकर तोलकर, पैकिंग स्लिप डालकर, सिलाईकर प्लान्ट से पक्के माल के गोदाम में चट्टे लगाना चट्टे की साईज (30x20x18) एवं टेलिस्कोपिक कवैयरद्वारा सीधे ट्रकों में लोड करना।	दर प्रति क्विंटल (रु)		INR Zero Only
1.10	पक्के माल के निर्देशित चट्टे से बिना चट्टे खराब किये व बिना हुकलगाये बोरियों को उठाकर ट्रकों में लोड करना।	दर प्रति क्विंटल (रु)		INR Zero Only
1.11	संयन्त्र मे किसी भी मंजिल से (अण्डर ग्राउण्ड सहित) बिखरे माल कोएकत्रित कर छानकर बोरियों में भरना (वजन करीब 40 किलो) व डम्प करना।	दर प्रति क्विंटल (रु)		INR Zero Only
1.12	बीआईएस के नियमों के अनुसार गुणवत्ता को बनाये रखने एवं संयन्त्र के प्रोसेसिंग यूनिट हेतु दो श्रमिक उपलब्ध कराना।	दर प्रति क्विंटल (रु)		INR Zero Only
1.13	बीआईएस के नियमों के अनुसार आरएमजी इत्यादि को हार्डजैनिक कण्डिशन में रखने हेतु चार श्रमिक उपलब्ध कराना।	दर प्रति क्विंटल (रु)		INR Zero Only
1.14	बीआईएस के नियमों के अनुसार एफएमजी इत्यादि को हार्डजैनिक कण्डिशन में रखने हेतु एक श्रमिक उपलब्ध कराना।	दर प्रति क्विंटल (रु)		INR Zero Only
1.15	बीआईएस के नियमों के अनुसार संयन्त्र में स्थापित सायलों की साफ-सफाई हेतु एक श्रमिक उपलब्ध कराना।	दर प्रति क्विंटल (रु)		INR Zero Only

1. क.सं. 1.01से 1.15 का कार्य औसतन के आधार पर दर निकालकर एक ही ठेकेदार को कार्य दिया जावेगा। शेष अन्य कार्य अपने आप में पृथक होंगे।
2. क. सं. 1.01से 1.15 की प्रति क्विंटल लागत 1 क्विंटल में 2 बोरी नई लगने व पुरानी 2 बोरिया खाली होने, 2 बोरियां छपाई एवं 4 किलो ऐडेटिव को मानते हुए निर्धारण किया जावेगा।

क. सं. 1.01से 1.15 तक के कार्य को करने की गणना करने के लिये निम्नांकित सूत्र को उपयोग किया जावेगा व इसी आधार पर प्राप्त न्यूनतम दर दाता का निर्धारण होगा।

औसत दर निकालने का सूत्र =

{क.सं. (1.01) की दर} + {क.सं.(1.02) की दर} + {क.सं. (1.03)की दर X 2/500} + {क.सं. (1.04) की दर X 2/50} + { क.सं. (1.05) की दर X 2/666} + {क.सं. 1.06 की दर X2} + {क.सं. (1.07) की दर /20}+ {क.सं. (1.08) की दर}+ {क.सं. (1.09) की दर}+ {क.सं. (1.10) की दर}+ {क.सं. (1.11) की दर}+{क.सं. (1.12) की दर}+{क.सं. (1.13) की दर}+{क.सं. (1.14) की दर}+{क.सं. (1.15) की दर}

नोट: उपरोक्तानुसार देय दरों में केन्द्रीय/राज्य सरकार इत्यादि विभिन्न संस्थाओं द्वारा लगाया गया कर (जीएसटी को छोड़कर) शामिल माना जावेगा तथा सभी करो को जमा कराये जाने की जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार की होगी।

अनुभाग-V

CONTRACT FORMS AND PERFORMANCE SECURITY

(To be executed on Non-Judicial Stamp Paper of appropriate value)

RATE CONTRACT FOR PROVIDING SERVICE FOR

Unloading of raw material from truck, dumping, bundle packing (old bardana), bagging, packing, stacking, and loading of cattle feed in trucks, etc

Between

Managing Director,

Jaipur Zila Dugdh Utpadak Sahakari Sangh Ltd.,

Near Gandhi Nagar Railway Station, Jaipur-302015

and

[Name of the Bidder/Service Provider]

Dated:

AGREEMENT

(On non judicial stamped paper of appropriate value)

- 1) An agreement made this _____ day of _____ between M/s. _____ hereinafter called "approved Bidder/Service Provider" which expression shall where the context so admits, be deemed to include his heirs, successors, executors and administrators of the one part and the Cattle Feed Plant, Kaladera, A unit of Jaipur Zila Dugdh Utpadak Sahakari Sangh Ltd., Near Gandhi Nagar Railway Station, Jaipur-302015(hereinafter called "the CFP-Kaladera" which expression shall, where the context so admits, be deemed to include his successors in office and assigns) of the other part.
- 2) Whereas the approved Bidder/Service Provider has agreed with the CFP-Kaladera for unloading of raw material from truck, dumping, bundle packing (old bardana), bagging, packing, stacking, loading of cattle feed in trucks, etc. all those articles set forth in the LOI/LOA/work order issued vide No. _____ and in the manner set forth in the aforesaid order.
- 3(a) And whereas the approved Bidder/Service Provider has deposited a sum of Rs. _____ in form of Bank Guarantee as Performance security for the due performance of the agreement.
- 3(b) And whereas the approved Bidder/Service Provider has agreed:
 - (i) to keep the performance security with the CFP-Kaladera in form of Bank Guarantee for contract period or such extended period so as to cover the period of performance of contract i.e. for **unloading** of raw material from truck, dumping, bundle packing (old bardana), bagging, packing, stacking, **loading** of cattle feed in trucks, etc as per the LOI/LOA/ work order.
 - (ii) That no interest shall be paid by the Jaipur Milk Union on the performance security deposit.
 - (iii) That in case of breach of any terms & conditions of the aforesaid conversion LOI/LOA/work order of this agreement by the approved Bidder/Service Provider, the amount of the performance security shall be liable to forfeiture in full or part by the Federation.

NOW THESE PRESENT WITNESS

- 1) In consideration of the payment to be made by the CFP-Kaladera at the rates set forth in the aforesaid LOI/LOA/work order, the approved Bidder/Service Provider will duly unloading of raw material form truck, dumping, bundle packing (old bardana), bagging, packing, stacking, loading of cattle feed in trucks, etc all those articles set forth in the work order issued and in the manner set forth and within the period stipulated in the conditions of the Bid/tender and order.
- 2) The conditions of the Bid/Tender as given in the Bid/tender document for the work, conditions of the aforesaid LOI/LOA/work order and also any subsequent amendment as may be issued by the CFP-Kaladera will be deemed to be taken as part of this agreement and are binding on the parties executing this agreement.
- 3) That all the terms and conditions of the Bid/Tender Form including its Annexures stands ipso facto included as terms of this agreement as inseparable part of this agreement and binding on approved Bidder/Service Provider.
 - (a) For any shut down / break down in the equipment / plant at the CFP Kaladera for which the delay occurs for the unloading of trucks received than no penalty will be charged from approved bidder / service provider.
 - (b) In the event of receiving repeated complaints in writing from the CFP-Kaladera, MD, Jaipur Zila Dugdh Utpadak Sahakari Sangh Ltd., may decide to recover suitable amount towards such losses from the approved Bidder/Service Provider and such decision of MD, Jaipur Zila Dugdh Utpadak Sahakari Sangh Ltd. shall be final and binding on the approved Bidder/Service Provider.
- 4) The mode of payment will be as specified in the Bid documents. Work shall be effected and completed in the manner and time specified in the LOA/work order/bid document. In case the approved Bidder/Service Provider fails to execute the work within the time specified in the aforesaid LOA/work order, the conditions of liquidated damages and penalty those for late completion of work as stipulated in the aforesaid work order/contract shall be enforced.

If the Bidder/Service Provider considers at any time during the performance of the Contract that he is unable to meet the agreed dates and deadlines set forth for various deliverables due to occurrence of an event of Force Majeure or any other reasons, it may request in writing immediately on the occurrence of cause of hindrance to the CFP-Kaladera, to execute the work. The CFP-Kaladera, after considering the reasons and justifications, may consider request without liquidated damages.

5) Amicable Settlement

The parties shall use their best efforts to settle amicably all disputes arising out of or in connection with this Contract or the interpretation thereof. In the event a dispute, differences or claim arises in connection with the interpretation or implementation of this

Contract, the aggrieved party shall issue a written notice setting out the dispute/ differences or claim to the other party. Parties shall first attempt to resolve such dispute through mutual consultation. If the dispute is not resolved as aforesaid within 30 days from the date of receipt of written notice, the matter will be referred for Arbitration.

- 6) All disputes and difference arising between the parties out of the agreement or incidental thereto shall be decided by arbitration under the provisions of the Arbitration and conciliation Act, 1996 or any other law for the time being in force and the same shall be final and binding on both the parties.
- 7) All the disputes pertaining to the said contract shall vest to the jurisdiction of Courts at Jaipur.
- 8) All terms & conditions of the tender shall be part of this agreement.

In witness whereof the parties hereto have set their hands on the _____ day _____.

SIGNATURE OF THE APPROVED SUPPLIER:

SIGNATURE FOR AND ON BEHALF OF the JZDUSSL:

Witness No.1

Signature : _____

Name : _____

Address : _____

Witness No.1

Signature: _____

Name : _____

Address : _____

Witness No.2

Signature : _____

Name : _____

Address : _____

Witness No.2

Signature : _____

Name : _____

Address : _____

**(Performa of Bank Guarantee for Performance Security)
(On Non-judicial stamp paper as prescribed by bank)**

This deed of Guarantee made this _____ day of _____ 2023 (Two thousand Twenty Three) by _____ (Name and address of the Bank) (hereinafter referred to as "The Bank") which expression shall be here the context or meaning so requires, includes the successors and assignees of the Bank and the -----Jaipur, Rajasthan, (hereinafter referred to as "The CFP, Kaladera" which expression shall unless repugnant to the context or the meaning there of include its legal representatives, successors and assignees.

WHEREAS the CFP, Kaladera has placed its work order bearing No. _____ dated _____ (Name and address of the party) (Hereinafter called "The approved tenderer") for loading/unloading of raw material from truck, dumping, bundle packing (old bardana), bagging, packing, stacking, loading of cattle feed in trucks, etc and whereas the approved tenderer has agreed to provide a Bank Guarantee valid for the contracted period from any Scheduled Bank approved by RBI in the prescribed format of ----- for an amount of Rs. -----/- (Rupees in words) towards security to ----- to safeguard its investment in the Cattle Feed. The Bank guarantee will be released three months after expiry of contract period on production of no dues certificate and an undertaking in case any claim/ liability /recovery in account arises after the expiry of the contract, firm shall deposit the same with ----- -- without any delay.

In consideration of the approved tenderer having agreed to provide a B.G. of Rs _____ (Rupees _____ only) being the security deposit amount, we _____ (Name of the Bank) hereby undertake and guarantee to make repayment to the CFP, Kaladera of the said Rs. _____ (Rupees _____ only) or any part thereof which becomes payable to the CFP, Kaladera in accordance with the terms and conditions of the said work order within 07 days from the date of demand from the CFP, Kaladera. The Bank further undertakes not to revoke this guarantee during its currency except with the previous consent of the CFP, Kaladera in writing and this guarantee shall be a continuous and irrevocable guarantee up to a sum of Rs. _____ (Rupees _____ only).

The Bank shall not be discharged or released from this guarantee by any arrangement between the approved tenderer and the CFP, Kaladera with or without the consent of the Bank or any alterations in the obligations of the parties or by any indulgence, forbearance shown by the CFP, Kaladera to the tenderer and that the same shall not prejudice or restrict remedies against the Bank nor shall the same in any event be a ground of defence by the Bank against the CFP, Kaladera. We _____ (Name of the Bank) do hereby undertake to pay an amount due and payable under this guarantee without any demur, merely on demand from the CFP, Kaladera stating that the amount claimed is due to the CFP, Kaladera. In case the CFP, Kaladera puts forth a demand in writing on the Bank for the payment of the amount in full or in part against this guarantee,

The Bank shall consider that such demand by itself is a conclusive evidence and proof that the tenderer has failed in complying with the terms and conditions stipulated by the CFP, Kaladera without raising any dispute regarding the reasons for any such lapse/failure on the part or the approved tenderer.

This guarantee shall be in addition to and without prejudice to any other securities or remedies which the CFP, Kaladera may have or hereafter possess against the approved tenderer and the CFP, Kaladera shall be under no obligation to marshal in favour of the Bank any such securities or fund or assets that the CFP, Kaladera may be entitled to receiving or have a claim upon and the CFP, Kaladera at its absolute discretion may vary, exchange, renew, modify or refuse to complete or enforce or assign any security or instrument.

The Bank agrees that the amount hereby guaranteed shall be due and payable to the CFP, Kaladera on CFP, Kaladera serving a notice requiring the payment of the amount and such notice shall be served on the Bank either by actual delivery thereof to the Bank or by dispatch thereof to the Bank by registered post at the address of the said Bank. Any notice set to the Bank at its address by Registered Post shall be deemed to have been duly served on the Bank notwithstanding that the notice may not in fact have been delivered to the Bank.

In order to give full effect to the provisions of this guarantee the Bank hereby waives all rights inconsistent with the above provisions and which the Bank might otherwise as a guarantor be entitled to claim and enforce.

Notwithstanding anything contained herein before, our liability under this guarantee is restricted to Rs. _____ (Rupees _____ only) and it shall remain in force until contract period, unless a suit or action is filed against us enforce such claims, within three months from end of the contract period, all the CFP, Kaladera rights under this guarantee shall be forfeited and we shall be relieved and discharged from all liabilities there under.

Place :

Date :

(SIGNATURE)
SEAL OF BANK